

न्यायालय श्री सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

पीठासीन अधिकारी:—रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या:— 174/2021

प्रार्थी:— भागीरथराम पुत्र श्री जसराज, जाति विश्नोई, निवासी भीमसागर,
तहसील ओसियां, जिला—जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी:— तहसीलदार ओसियां।

उपस्थित —

प्रार्थी की ओर से — अधिवक्ता श्री घेवरराम विश्नोई।


अप्रार्थी की ओर से — सरकारी पैरोकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

—:निर्णय:—

दिनांक:— 12/3/22

प्रार्थी द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया कि—प्रार्थी व अन्य खातेदारान की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काशत सुदा भूमि खसरा नम्बर 339 रकबा 0.0728 हैक्टेयर गै.मु ढाणी खसरा नम्बर 340 रकबा 28.7084 हैक्टेयर मौजा ग्राम भीमसागर, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर की सरहद में आई हुई है। उक्त भूमि के राजस्व रेकॉर्ड में प्रार्थी का नाम भंवरू पुत्र जसराज दर्ज हैं लेकिन प्रार्थी का वास्तविक नाम भागीरथराम पुत्र जसराज हैं। राजस्व रेकॉर्ड में प्रार्थी का नाम दर्ज करते वक्त राजस्व कर्मचारियों की भूलवश भंवरू पुत्र जसराज दर्ज कर दिया जो गलत हैं। प्रार्थी के तमाम दस्तावेज आधार कार्ड, पेन कार्ड इत्यादि में प्रार्थी का नाम भागीरथराम पुत्र जसराज दर्ज है। उक्त राजस्व रेकॉर्ड में नाम त्रुटि केवल मात्र राजस्व कर्मचारियों की सद्भाविक भूल के कारण हुई हैं। जो वर्तमान में उसी अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज हैं। राजस्व रेकॉर्ड में रही त्रुटि को लेकर प्रार्थी को भयंकर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हैं। जिस वजह से प्रार्थी की भूमि पर भूमि सुधार कार्य करने बाबत तमाम कार्य रूके हुए पड़े हैं। प्रार्थी का नाम राजस्व रेकॉर्ड में सुधारा जाता है तो अन्य खातेदारान को कोई आपत्ति नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् से निवेदन हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी व कब्जा सुदा भूमि खसरा नम्बर 339 रकबा 0.0728 हैक्टेयर गै.मु ढाणी खसरा नम्बर 340 रकबा 28.7084 हैक्टेयर मौजा ग्राम भीमसागर, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर, के राजस्व रेकॉर्ड में प्रार्थी का नाम भंवरू पुत्र



[Handwritten signature]
अधिकारी, ओसियां

जसराज के स्थान पर भागीरथराम पुत्र जसराज दर्ज किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड दुरस्त किये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावें। तदनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करवाया जावें।


प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित हुए। अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया कि ग्राम भीमसागर के खसरा नम्बर 339, 340 में भंवरू पि. जसराज के स्थान पर भागीरथराम पि. जसराज नाम दर्ज किया जाना उचित है। अप्रार्थी का जवाब शामिल मिसल किया गया।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थी का सही नाम भागीरथराम पि. जसराज है जो पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात से स्पष्ट है, इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

—:आदेश:—


अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी व कब्जा सुदा भूमि खसरा नम्बर 339 रकबा 0.0728 हैक्टेयर गै. मु ढाणी खसरा नम्बर 340 रकबा 28.7084 हैक्टेयर मौजा ग्राम भीमसागर, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर, के राजस्व रेकॉर्ड में प्रार्थी का नाम भंवरू पुत्र जसराज दर्ज है जिसके स्थान पर प्रार्थी का सही नाम भागीरथराम पुत्र जसराज, दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार ओसियां को तहरीर जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।




सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक...12/2/22... को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।




सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां